आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा

श्री परेश म. जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 998/इंदौर/2025

दि कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश, सेवा सदन, 1250 क्वार्टर्स, तुलसी नगर, भोपाल	बनाम	आयकर आयुक्त एक्जंप्शन, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएएटी 4343 जी PAN- AAAAT4343G		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एस.देशपांडे, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	05.03.2026
उद्घोषणा तिथि	05.03.2026

आदेश

श्री परेश म.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आदेश दिनांक 30.09.2025 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित आवेदन दिनांक 19.02.2026 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती ने यह अपील आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन निरस्त करते हुए पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की है । यद्यपि, अब निर्धारिती उपरोक्त अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है और उसे वापस लेना चाहता है।

अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 05.03.2026 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)	(परेश एम.जोशी)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 05.03.2026

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल